

अनुभव प्रमाण पत्र, सन्वन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव के माध्यम से जारी किया जाता है।

अनुभव प्रमाण पत्र

श्रीमान/श्रीमती (ग्राम प्रधान/सचिव का नाम)
ग्राम प्रधान/सचिव- ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत का नाम)
पते पर (पता)
जनपद (जनपद का नाम)
प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री (उम्मीदवार का नाम), पति/पत्नी श्री/श्रीमती
..... (पिता/माता का नाम), निवासी
..... (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका
संख्या (आधार संख्या) है, ने हमारे
ग्राम पंचायत में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/परिचालन
और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
जाते हैं तो इस सन्वन्ध में लिखे एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक 22.05.2024

श्रीमान/श्रीमती
हस्ताक्षर और मुहर
ग्राम प्रधान/सचिव का नाम
(ग्राम पंचायत)